सत्यमेव जयते

भारत सरकार

और

कोरिया गणराज्य सरकार

के बीच

हवाई सेवा करार

भारत सरकार और कोरिया गणराज्य सरकार (जिन्हें इससे आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है),

जो कि 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किये गए अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष है,

और जो अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के बीच और उनसे परे हवाई सेवाएँ स्थापित करने और परिचालित करने के प्रयोजन से एक करार को अंतिम रूप देना चाहते है ।

निम्नलिखित पर सहमत हुए है :

अनुच्छेद-1

परिभाषा

जब तक कि प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, इस प्रयोजन के लिए:

(क) "अभिसमय" पद का आशय 7 दिसम्बर,1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध

तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अनुबंधों या अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल होगा, जहां तक ये अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिये प्रभावी रहे है ,

§ख§ "वैमानिकी प्राधिकारियों" पद का आशय भारत के मामले में, नागर विमानन के महानिदेशक और कोरिया गणराज्य के मामले में, परिवहन मंत्री अथवा दोनों मामलों में किसी ऐसे व्यक्ति तथा संस्था से है जिसे इस समय उक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त कार्यों को निष्पादित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है,

§ग§ "नामित विमान कम्पनी" पद का आशय ऐसी विमान कंपनी से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, इस करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर हवाई सेवाओं के परिचालन हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के लिये लिखित अधिसूचना द्वारा नामित करे, और जिसे उक्त दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान करार के अनुच्छेद-3 के अनुसार उपयुक्त परिचालन की अनुमति दी गई हो ,

§घ§ किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में "क्षेत्र" पद का आशय वही है जो इस अभिसमय के अनुच्छेद-2 में दिया गया है ,

§ड·§ "हवाई सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिये रुकना" पदों का आशय वही है जो उन्हें क्रमशः अभिसमय के अनुच्छेद 96 में दिया गया है ,

§च§ विमान के संदर्भ में "क्षमता" पद का आशय किसी भी मार्ग पर या उस मार्ग के किसी भी खण्ड पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड से है ,

§छ§ सम्मत सेवा के संदर्भ में "क्षमता" पद का आशय ऐसी सेवा में प्रयुक्त विमान से किसी निश्चित अवधि में किसी भी मार्ग या उसके खण्ड पर परिचालित आवृत्ति के द्वारा गुणित विमान की क्षमता से है ,

§ज§ "यातायात वहन" पद का आशय यात्रियों, कार्गो और डाक के वहन से है , और

......3

§झ§ "अनुलग्नक" पद का आशय इस करार के अनुबंध अथवा इस करार के अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार संशोधित अनुबंध से है । यह अनुबंध इस करार का अभिन्न अंग है और जहां अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, उसके सिवाय, करार से संबंधित सभी संदर्भो में, अनुबंध से संबंधित संदर्भ शामिल होंगे ।

अनुच्छेद-2
यातायात अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इसके साथ लगे अनुबंध में निर्दिष्ट मार्ग पर उसकी नामित विमान कम्पनी को अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं स्थापित और परिचालित करने के लिये वर्तमान करार में निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है । ऐसी सेवाओं और मार्गों को इसके आगे क्रमशः "सम्मत सेवाएं" और "निर्दिष्ट मार्गों" के रूप में संबोधित किया गया है ।

2. वर्तमान करार के उपबंधों के अधीन प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी को निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

§क§ बगैर उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना ,

§ख§ यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रुकना, और

§ग§ निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करते समय अनुबंध में निहित उपबंधों के अधीन किसी भी स्थान पर यात्रियों, कार्गो और डाक को चढ़ाना और उतारना ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि उससे एक संविदा-

सत्यमेव जयते

कारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों, कार्गो और डाक को, जिसे उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी अन्य स्थान पर पारिश्रमिक या किराये के लिये ले जाया जा रहा हो, विमान में लेने का अधिकार मिल गया है ।

अनुच्छेद-3

एयरलाइनों को नामित करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में, विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को सूचित करते हुए एक विमान कम्पनी नामित करने का अधिकार होगा ।

2. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद संविदाकारी पक्ष अपने वैमानिकी प्राधिकारियों के माध्यम से और इस अनुच्छेद के पैरा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन, बगैर विलंब के नामित विमान कम्पनी को उपयुक्त परिचालन संबंधी प्राधिकार मंजूर करेगा ।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह संतुष्ट करे कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन पर लागू किये जाते हैं ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट परिचालन प्राधिकार मंजूर करने से अस्वीकार करने अथवा किसी भी नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट उन अधिकारों के प्रयोग करने पर यथोचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जहाँ उसे यह संतोष न हो कि नामित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित नहीं है ।

5. इस पैराग्राफ 4 के प्रयोजन के लिए "वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" का तात्पर्य है कि किसी भी हालत में जहाँ नामित विमान कम्पनी करार के अधीन अपनी सेवाएँ, किसी अन्य देश या सरकार की एयरलाइन या किसी अन्य देश के राष्ट्रिकों के साथ कोई और करार करके प्रचालित करती है, तो यह माना जाएगा कि इस विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के साथ उस विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जब तक कि संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों के पास, नामित विमान कम्पनी की संपत्ति के बड़े भाग के स्वामित्व के अलावा, निम्नलिखित भी न हो :-

(क) नामित विमान कम्पनी के प्रबंध-मंडल में प्रभावी नियंत्रण, और

(ख) सेवाओं के परिचालन में प्रयुक्त विमानों और उपस्करों के बेड़े के बड़े भाग का स्वामित्व और उस पर नियंत्रण ।

6. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार नामित और प्राधिकृत विमान कम्पनी सम्मत सेवाओं का परिचालन शुरू कर सकती है बशर्ते कि क्षमता वर्तमान करार के अनुच्छेद-10 के अंतर्गत विनियमित की गई हो, और उन सेवाओं के संबंध में वर्तमान करार के अनुच्छेद-11 की अपेक्षाएँ पूर्ण की गई हों ।

अनुच्छेद-4

अधिकारों को प्रतिसंहृत करना और रोक देना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी को इस करार के अनुच्छेद-2 में निर्दिष्ट परिचालन प्राधिकार प्रतिसंहृत करने या अधिकारों का प्रयोग रोक देने अथवा ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो वह इन अधिकारों के प्रयोग पर लगाना आवश्यक समझे ,

(क) किसी भी मामले में जहाँ उसे यह संतोष न हो कि नामित विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व

सत्यमेव जयते

और प्रभावी नियंत्रण उन विमान कम्पनियों को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित नहीं है , या

§ख§ ऐसे अधिकार देने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों या विनियमों के अनुपालन में यदि कोई विमान कम्पनी असफल रहती है , या

§ग§ वर्तमान करार के उपबंधों के अनुपालन में यदि एयरलाइन अन्यथा असफल रहती है ।

2· जब तक इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तों का तत्काल प्रतिसंहरण, निलंबन या आरोपण अनिवार्य न हो कि कानूनों और विनियमों के और अतिलंघन को रोका जाए तो ऐसे अधिकार का प्रयोग प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

अनुच्छेद-5

प्रभार

एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा हवाई अड्डों और अन्य वैमानिक सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए लिया जाने वाला प्रभार, ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी हुई प्रथम संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमानों द्वारा अदा किए जाने वाले प्रभार से अधिक नहीं होगा ।

अनुच्छेद-6

सीमा शुल्क और अन्य समान प्रभार

1· एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर परिचालित किये जा रहे विमान तथा विमान में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, अतिरिक्त पुर्जों, ईंधन और स्नेहकों की सप्लाई और विमान में रखे गए विमान भंडार §जिसमें खाद्य, मादक पदार्थ और तम्बाकू भी सम्मिलित है§ के दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुंचने पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा उनके भू-भाग में

सत्यमेव जयते

लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्कों या करों से मुक्त रहेंगे बशर्ते कि ऐसे उपस्कर, पुर्जे और सप्लाई उस समय तक विमान में रहें जब तक उनका पुनः निर्यात नहीं किया जाता ।

2. इसके अतिरिक्त, निष्पादित सेवा के अनुरूप प्रभारों के सिवाय, निम्नलिखित ऐसे ही शुल्क, फीस और प्रभारों से मुक्त रहेंगे ,

(क) किसी भी संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विमान में लिये गए विमान भंडार जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान द्वारा बाहरी यात्रा में किया गया हो ,

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्मत सेवाओं में प्रयुक्त विमानों के रख-रखाव या मरम्मत के लिये किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इस्तेमाल में लाए गए कल-पुर्जे ,

(ग) एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा सम्मत सेवाओं पर परिचालित विमान को सप्लाई किया गया ईंधन और स्नेहक, चाहे इस सप्लाई का उपयोग उन आंशिक उड़ानों पर किया गया हो जो उस संविदाकारी पक्ष के भू-"भाग के ऊपर की गई हों जहां से इस सप्लाई को लिया गया हो ।

इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफों (क),(ख) और (ग) में उल्लिखित सामग्री सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखी जा सकती है ।

3. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गए नियमित उड़ानगत उपस्कर तथा सामग्री और सप्लाई को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन

......8

से ही उतारा जा सकेगा । ऐसे मामलों में, इन्हें उस समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जा सकेगा जब तक उन्हें पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता या सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उनका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

4. एक संविदाकारी पक्ष के विमान में सीधे मार्ग में सामान और कार्गो दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीमा-शुल्क व ऐसे ही अन्य प्रभारों से मुक्त रहेगा ।

अनुच्छेद-7

कानून और विनियमों को लागू करना

1. एक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हवाई दिक्चालन या उस भू-भाग के ऊपर ऐसी उड़ानों में लगे विमानों द्वारा उनके भू-भाग में प्रवेश और वहां से प्रस्थान प्रशासित होता है, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमानों पर लागू होंगे और ऐसे विमान द्वारा प्रथम संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के भीतर प्रवेश करने या प्रस्थान करने तक उनका अनुपालन किया जाएगा ।

2. एक संविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम, जिनके अंतर्गत यात्रियों, कर्मीदल, माल और डाक के प्रवेश ठहरने ,उसके भू-भाग से पारगमन या प्रस्थान प्रशासित होते है, जैसे कि प्रवेश और निकास की औपचारिकताओं के संबंध में, प्रवास और अप्रवास, सीमा-शुल्क, मुद्रा, चिकित्सा और गारंटी उपाय दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान द्वारा ले जाए गए यात्रियों, कर्मीदल, माल और डाक पर लागू होंगे जबकि वे प्रथम संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के भीतर हो ।

अनुच्छेद-8

एयरलाइन प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना का अधिकार होगा । इन प्रतिनिधि कार्यालयों में वाणिज्यिक, परिचालनात्मक और तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे ।

2. प्रतिनिधि कार्यालय, प्रतिनिधि और कर्मचारी उस अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार स्थापित होंगे ।

अनुच्छेद-9

प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों की मान्यता

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए या वैध माने गए उड़न-योग्यता का प्रमाण-पत्र, सक्षमता का प्रमाणपत्र और लाइसेंस को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा वैधता की अवधि के दौरान वैध माना जाएगा।

2. तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास अपने भू-भाग के ऊपर उड़ानों के प्रयोजन के लिए सक्षम प्रमाणपत्र और अपने राष्ट्रिकों को प्रदान किए गए लाइसेंस या दूसरे संविदाकारी पक्ष या किसी अन्य राष्ट्र द्वारा उनको दी गई वैधता को न मानने का अधिकार सुरक्षित है ।

अनुच्छेद-10

क्षमता विनियम

1. निर्दिष्ट मार्गों पर, सम्मत सेवाओं के परिचालन में दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों को उचित रूप से समान अवसर और लाभ मिलेंगे ।

2. सम्मत सेवाओं के परिचालन में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उक्त विमान कंपनी द्वारा उसी मार्ग पर या उसके किसी हिस्से में परिचालित कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

3. किसी भी निर्दिष्ट मार्ग पर एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा की गई क्षमता की व्यवस्था के साथ-साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा की गई क्षमता की व्यवस्था को उस मार्ग पर हवाई यातायात के लिए जनता की आवश्यकताओं के साथ उचित संबंध बनाएगा ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों द्वारा परिचालित की जाने वाली सम्मत सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों के भू-भाग से आने और जाने के लिए चालू

सत्यमेव जयते

और अनुमानित यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित भार पर समुचित क्षमता की व्यवस्था करना होगा । नामित विमान कम्पनी के अलावा राष्ट्र के भू-भाग में निर्दिष्ट मार्गों पर आने जाने वाले स्थानों में दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में चढ़ने या उतरने वाले यातायात का वहन अनुपूरक किस्म का होगा । दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में स्थित निर्दिष्ट मार्गों और तीसरे देशों के स्थानों के बीच यातायात को लाने ले जाने के लिए इस प्रकार की विमान कम्पनी का अधिकार इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात के सामान्य विकास के हित में किया जाएगा कि क्षमता निम्नलिखित से संबंधित हो :-

(क) संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के भू-भाग से यातायात को लाने और ले जाने की आवश्यकता ,

(ख) स्थानीय और क्षेत्रीय विमान सेवाओं के लेने के बाद ऐसे क्षेत्रों की यातायात की आवश्यकताएँ जिनके द्वारा सम्मत सेवाएँ की जाती हैं , और

(ग) पूरे विमान कम्पनी परिचालन की आवश्यकताएँ ।

5. उपर्युक्त में बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, नामित विमान कंपनी द्वारा व्यवस्था की जाने वाली क्षमता और सेवा की आवृत्तियाँ सम्मत सेवाओं के शुरू होने से पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति से की जाएँगी । नामित विमान कम्पनियों की आवृत्ति/क्षमता हकदारी में किसी प्रकार की वृद्धि यातायात में वृद्धि के आधार पर दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति से होगी । ऐसी वृद्धि के बारे में सहमति होने तक पहले से चालू क्षमता और आवृत्ति लागू रहेगी ।

अनुच्छेद-11

टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराओं के प्रयोजन के लिये "टैरिफ" का आशय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिये अदा की जाने वाली कीमतों और एजेंसी एवं अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतों और शर्तों सहित उन स्थितियों

सत्यमेव जयते

से है जिनके अंतर्गत ये लागू होती है लेकिन इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और उससे संबंधित शर्तें शामिल नहीं है ।

2. किसी भी सम्मत सेवाओं पर टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें निर्दिष्ट मार्गों के किसी खण्ड के लिए अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफों और गति स्तर तथा आवास जैसी सेवा की विशिष्टताओं, उचित लाभ, परिचालन की लागत सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा ।

3. टैरिफों को निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

§क§ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित टैरिफ का निर्धारण एजेंसी कमीशन की दरों को मिलाकर प्रत्येक निर्दिष्ट मार्ग और उसके सैक्टरों के संबंध में, यदि संभव हो, संबंधित नामित विमान कम्पनियों के बीच सहमति से किया जाएगा और ऐसा करार जहां तक संभव हो, अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की दर निर्धारण मशीनरी के माध्यम से किया जाएगा ।

§ख§ इस प्रकार से सम्मत टैरिफ, लागू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे §90§ दिन पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिये भेजे जाएंगे। विशेष मामलों में, यदि उक्त प्राधिकारी सहमत हों तो यह अवधि घटाई जा सकती है ।

§ग§ यह अनुमोदन शीघ्र दिया जाना चाहिए । यदि प्रस्तुत करने के तीस §30§ दिनों की अवधि के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी अपनी असहमति व्यक्त न करें तो इस अनुच्छेद के पैरा 3§ख§ के अनुसार ये टैरिफ अनुमोदित समझे जाएंगे । जैसा कि पैरा 3§ख§ में उपबंध है, यदि टैरिफ प्रस्तुत करने की अवधि कम की जाती है तो वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते है कि वह अवधि जिसके अंतर्गत अस्वीकृति अधिसूचित की जानी है तीस §30§ दिन से कम होगी ।

......12

सत्यमेव जयते

(घ) यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3(क) के उपबंधों के अनुसार, इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं होती है, या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3(ग) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे वैमानिकी प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैरा 3(ग) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित टैरिफ पर अपनी असहमति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे ।

(ङ) यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3(ख) के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के अनुमोदन अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 3(घ) के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सकें तो इस करार के अनुच्छेद 17 के उपबंधों के अनुसार इस विवाद का निपटान किया जाएगा।

(च) जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर दिया जाता तब तक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू रहेंगे । तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह (12) महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता ।

अनुच्छेद-12

आंकड़ों की व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कम्पनी से यह अपेक्षा करेंगे कि अन्य संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐसे आंकड़ों के आवधिक या अन्य विवरण की आपूर्ति करेंगे जो प्रथम संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियों द्वारा सम्मत सेवाओं पर व्यवस्थित क्षमता की समीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित रूप से अपेक्षित हो । ऐसे विवरणों में सम्मत सेवाओं पर उन विमान कम्पनियों द्वारा लाए ले जाए गए और ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थानों पर यातायात के निर्धारण के लिए आवश्यक सभी सूचना शामिल होगी ।

......13

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-13

राजस्व का हस्तांतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को प्रथम संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में यात्रियों को लाने ले जाने, डाक और माल के संबंध में विमान कम्पनी द्वारा व्यय से अधिक अर्जित प्राप्तियों का हस्तांतरण प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में करने का अधिकार प्रदान करेगा ।

2. इस प्रकार का हस्तांतरण वहाँ की सरकारी मुद्रा भुगतान की विनिमय दर से किया जाएगा अथवा जहाँ सरकारी विनिमय दर लागू न हो, वहाँ मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनिमय की मार्केट दर से किया जाएगा ।

3. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान परिशोधन को शासित करने संबंधी विशेष व्यवस्था लागू हो तो ऐसी व्यवस्था के उपबंधों को, इस अनुच्छेद के पैरा §1§ के अंतर्गत निधियों के हस्तांतरण पर लागू किया जाएगा ।

अनुच्छेद-14

सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप संविदाकारी पक्ष इस बात की पुष्टि करते है कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है । अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना संविदाकारी पक्ष, 14 सितंबर, 1963 को तोक्यो में हस्ताक्षरित विमान में किए गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मॉंट्रियल में और 24 फरवरी,88 को मॉंट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सेवा से संबद्ध हवाई अड्डों पर गैर-कानूनी हिंसक कार्यों के उन्मूलन के लिए हस्ताक्षरित प्रोटोकोल या नागर विमानन पर कोई अन्य अभिसमय जिसके लिए दोनों संविदाकारी पक्ष

.......14

सदस्य बनेंगे, नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे ।

2. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष, सिविल विमानों का अभिग्रहण करने और विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, विमानों और विमान दिक्चालन सुविधाओं तथा नागर विमानन सुरक्षा को होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंध के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं, वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनका व्यवसाय या प्रमुख स्थान अथवा स्थायी निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके क्षेत्र में, हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत होंगे कि विमान के इस प्रकार के प्रचालक को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने, वहाँ से प्रस्थान करने अथवा उस भू-भाग में रहते समय उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित इस अनुच्छेद के पैरा 3 में निर्दिष्ट विमानन सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान की सुरक्षा और, विमान पर सवार होते समय अथवा उतरने के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, सामान, माल और विमानन भंडार की सुरक्षा के लिए उसके क्षेत्र में प्रभावी और उचित कदम उठाए गए हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष धमकी से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों को करने के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगा ।

5. यदि किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी ढंग से अपहरण किए जाने अथवा धमकी दिए जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई घटना घटती है तो संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा धमकी से शीघ्र निपटने के लिए संचार माध्यमों और अन्य उपायों के द्वारा एक दूसरे की सहायता

......15

सत्यमेव जयते

करेंगे ।

6· प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, यह सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव उपाय करेगा कि उसके भू-भाग में उतारे गए विमान जिसका गैर-कानूनी रूप से अपहरण किया गया हो या जिसके साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप किया गया हो उसे तब तक रोका जाए जब तक कि मानव जीवन को बचाने के लिए इसका प्रस्थान अधिक महत्वपूर्ण न समझा जाए । जहाँ तक व्यवहारिक हो, ऐसे उपाय आपसी परामर्श से ही किए जाएँगे ।

अनुच्छेद-15

परामर्श

दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इस करार को पूरा करने संबंधी सभी मामलों में निकट सहयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से बार-बार परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद-16

संशोधन

1· यदि कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार के किन्हीं उपबंधों में संशोधन करना चाहता है तो वह किसी भी समय ऐसा करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है । ऐसा परामर्श विचार-विमर्श या पत्राचार द्वारा हो सकता है । ऐसा परामर्श इसके लिये अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिन के भीतर शुरू हो सकेगा । इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान से पुष्टि किये जाने पर लागू हो सकेगा ।

2· अनुबंध में किये जाने वाले संशोधन संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधे करार तथा राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान से पुष्टि किये जाने पर किये जा सकेंगे ।

3· यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में विमान परिवहन से संबंधित कोई सामान्य बहुपक्षीय अभिसमय

सत्यमेव जयते

या करार लागू होता है तो वर्तमान करार में संशोधन किया जाएगा ताकि यह ऐसे अभिसमय या करार के उपबंधों के अनुरूप हो सके ।

अनुच्छेद-17

विवादों का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथा प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपस में बातचीत द्वारा इसे निपटाने का प्रयास करेंगे, यदि ऐसा न हो सके तो यह विवाद निपटान के लिए संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा ।

अनुच्छेद-18

समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे में नोटिस दे सकता है । ऐसा नोटिस साथ-साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा । ऐसे मामले में दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह §12§ मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व ही वापस न ले लिया जाए । दूसरे संविदाकारी पक्ष से पावती प्राप्त न होने की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह §14§ दिन बाद यह नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

अनुच्छेद-19

पंजीकरण

यह करार और इससे संबंधित कोई भी संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किया जाएगा ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-20

प्रवर्तन में आना

यह करार हस्ताक्षर की तारीख से प्रवर्तन में आ जाएगा ।

साक्ष्य के रूप में, निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने, जिन्हें अपनी-अपनी सरकारों द्वारा प्राधिकृत किया गया है, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

दिनांक 16 मार्च 1992 को सियोल में छः मूल पाठों में, दो-दो प्रतियों में, हिन्दी, कोरियाई और अंग्रेजी भाषाओं में हस्ताक्षर किये, जिनमें सभी पाठ समानरूप से प्रामाणिक हैं । यदि इनके निर्वचन में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

(माधवसिंह सोलंकी)
विदेश मंत्री
कृते भारत सरकार

(ली सौंग ओक)
विदेश मंत्री
कृते कोरिया गणराज्य सरकार